संख्या-429/2025/I/1142555/2025/23-11099(099)/450/2025

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 13-11-2025**

विषय- सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त होने एवं कोषागार आधारित ऑनलाईन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग कार्य पर भारित करके आई0ओ0सी0एल0 से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करने के पश्चात कार्यों के भुगतान हेतु धनावंटन प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-8001 बी0जी0/07बी(आई0ओ0सी0एल0)/2025-26, दिनांक 13.10.2025 एवं पत्र संख्या-का0क्षे0/20का0क्षे0/बी0एम0-15-आई0ओ0सी0एल0/2025-26, दिनांक 06.11.2025 के संदर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त होने एवं कोषागार आधारित ऑनलाईन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग में प्रचलित विभिन्न योजनाओं के कार्यों पर भारित कर बिटुमिन क्रय हेतु किये गये भुगतान के समायोजन हेतु आई0ओ0सी0एल0 में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष आई0ओ0सी0एल0 से प्राप्त कर कोषागार में जमा की गयी धनराशि की मांग के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 25.04.2025 के निर्गत कार्यवृत्त दिनांक 02.05.2025 यथासंशोधित दिनांक 14.05.2025 में उल्लिखित निर्देशों के आलोक में प्रमख/अन्य जिला मार्ग योजनान्तर्गत कानपुर क्षेत्र में जनपद इटावा (नि0ख0) में भरथना ऊसराहार से रौरा बकौली पुन्जा मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 2.600 किमी0) अर्थात् 01 चालू कार्य हेतु कुल धनराशि रू0 44.22 लाख (चौव्वालिस लाख बाइस हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	क्षेत्र का नाम	खण्ड का नाम	योजना	कार्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 में आई0ओ0सी0एल0 के अन्तर्गत प्रस्तावित आवंटन		
					अनु0 58	अनु0 83	कुल
1	कानपुर	नि0ख0 इटावा	राज्य योजना अ0जि0मा0	भरथना ऊसराहार से रौरा बकौली पुन्जा मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 2.600 किमी0)।	28.71	15.51	44.22

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्ध -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/ उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबंधित बजट के ऑन-लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के संबंध में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में निहित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) दर्शाये गये आवेदन एवं व्यय आदि के सम्बन्ध में यदि पूर्व में प्रेषित सूचना इससे भिन्न पायी जाती है, तो पूर्व में त्रुटिपूर्ण सूचना देने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

(8) मूल प्राविधिक लागत पर 5 प्रतिशत/7.5 प्रतिशत/15 प्रतिशत के व्ययाधिक्य की मांग के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा और इसी कार्य का पुनरीक्षित आगणन नहीं बनाया जायेगा और न ही अतिरिक्त मांग भविष्य में की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रूपये 28,71,000(रूपये अठ्ठाईस लाख इकहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054043371323 राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था(राज्य सेक्टर) मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (2) रूपये 15,51,000 (रूपये पंद्रह लाख इक्यावन हजार मात्र) को को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 लेखाशीर्षक 5054047891300 राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था(राज्य सेक्टर) मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5) सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी।
(6) मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(8) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(9) सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी।
(10) संबंधित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
(12) राज्य योजना आयोग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) अधीक्षण अभियंता, नियोजन/ परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(14) लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/11/12 एवं 14, उत्तर प्रदेश शासन।
(15) नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लो०नि०वि०, उ०प्र० शासन।
(16) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in